



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 175] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 10, 1983/वैशाख 20, 1905

N. 175] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 10, 1983/VAISAKHA 20, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 1983

सा. का. नि. 382 (अ).—केन्द्रीय सरकार, खादी और ग्राम उद्योग आयोग
नियम 1957 के नियम 3 के साथ पठित खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम,
1956 (1956 का 61) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, श्री ए. एम. थोमस को, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1)
के अधीन स्थापित खादी और ग्राम उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में पुनः नियुक्त

171 G1/83

(1)

करती है और उन्हें 13 मई, 1983 से ही प्रारम्भ होने वाली और 30 सितम्बर, 1983 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उक्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशित करती है ।

[सं. 6 (5)/83-के वी आई (3)]

वी. के. दर, अपर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 1983

G.S.R. 382(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) read with Rule 3 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 1957, the Central Government hereby reappoints Shri A. M. Thomas, as a Member of the Khadi and Village Industries Commission, established under sub-section (1) of section 4 of the said Act and nominates him as the Chairman of the said Commission for a period commencing on and from the 13th May, 1983 and ending on the 30th September, 1983.

[No. 6(5)/83-KVI (III)]

V. K. DAR, Additional Secretary